रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1970/ज्येष्ठ 11, 1892

No. 103] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1970/JYAISTHA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st June 1970

G.S.R. 866.—In pursuance of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and of all other powers hereunto enabling the Central Government hereby rescinds with immediate effect, the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 89/70-Central Excises, dated the 9th May, 1970.

[No. 124/70.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जून 1970

सा० का० नि० 866— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 89/70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 9 मई, 1970 को तुरन्त प्रभावी रूप से विखंडित करती है।

[सं० 24/70]

G.S.R. 867.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 173/68-Central Excises, dated the 14th September 1968, namely :—

In the Table below the said notification for S. Nos. 3 and 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3
"3.	(*a*) All electric wires and cables falling under Item No. 33B (*i*) of the said First Schedule, excluding those specified against S. No. 1 and 2 of this Table, manufactured by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only installed therein, as on the date of the initial installation of the plant and machinery, is not more than Rs. 7·5 lakhs	12% *ad valorem.*
	(*b*) Winding wires made of aluminium, falling under Item No. 33B (*i*) of the said First Schedule, manufactured by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only installed therein, as on the date of the initial installation of the plant and machinery is not more than Rs. 7·5 lakhs	4% *ad valorem*
4.	All electric wires and cables falling under Item No. 33 B (*ii*) of the said First Schedule manufactured by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only installed therein, as on the date of the initial installation of the plant and machinery, is not more than Rs. 7·5 lakhs, but excluding—	
	(*i*) un-insulated copper wires (whether single or stranded or bunched)	
	(*ii*) winding wires made of copper	4% *ad valorem.*

[No. 125/70]

E. R. SRIKANTIA,
Dy. Secy.

सा० का० नि० 867.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 173/68 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 14 सितम्बर, 1968 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में क्रमसंख्या 3 और 4 और तत्सम्बंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

1	2	3
"3.	(क) उक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 33ख (i) के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्युत तार और केबल, उनको छोड़ कर जो इस सारणी की क्रमसंख्या 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट है, जो ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित है जिसकी बाबत ऐसे अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो समाधान हो गया हो कि उसमें प्रतिष्ठापित केवल संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनिधान जो संयंत्र और मशीनरी के आरंभिक प्रतिष्ठापन की तारीख की था, 7.5 लाख रूपये से अधिक नहीं है।	12% मूल्यानुसार
	(ख) उक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 33ख (i) के अन्तर्गत आने वाले एलूमिनियम के बने कुंडलन तार जो ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित हैं जिसकी बाबत ऐसे अधिकारी का, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधान हो गया हो कि उसमें प्रतिष्ठापित केवल संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनिधान जो संयंत्र और मशीनरी के आरम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख को था, 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।	4% मूल्यानुसार
4.	उक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 33ख (ii) के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्युत तार और केबल जो ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित हैं, जिसकी बाबत ऐसे अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधान हो गया हो कि उसमें प्रतिष्ठापित केवल संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनिधान जो संयंत्र और मशीनरी के आरंभिक प्रतिष्ठापन की तारीख को था 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, किन्तु इसमें (i) तांबे के अरोधी तार (चाहे वे एकल हो, या बलदार हों या गुच्छे में हों)।	4% मूल्यानुसार

1	2	3
	(ii) तांबे के बने हुए कुंडलन तार सम्मिलित नहीं हैं।	

[संख्या 125/70]

ई० आर० श्रीकण्ठैया,
उपसचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970